राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

नि र्ण य

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम झाबर मल वगैरा।
(1) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2858/2007)
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम झाबर मल वगैरा।
(2) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2561/2007)
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम ईश्वर लाल वगैरा।
(3) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2679/2007)
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम कुमारी नीतू वगैरा।
(4) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2680/2007)
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम ईश्वर लाल वगैरा।
(5) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2682/2007)
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम मौंती राम वगैरा।
(6) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2683/2007)
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम कुमारी चन्दा वगैरा।
(7) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2684/2007)

31.10.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री आर.पी.विजय, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी बीमा कम्पनी।
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता मय
श्री अरविन्द कुमार पारीक, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

---

(1) यह सभी सातों सिविल विविध अपीलें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित) क्रम-2 एवं न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना वाद अधिकरण,सीकर (जिसे आगे चलकर **'अधिकरण'** ' लिखा जावेगा)द्वारा पारित पंचाट दिनांक- 2.3.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।यह सभी अपीलें एक ही दुर्घटना से सम्बन्धित है तथा एक ही आक्षेपित पंचाट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है अत: इन सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई कर इन्हें एक ही आदेश से निर्णीत किया जा रहा है। जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/दावेदारान के पक्ष में पृथक-पृथक क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने के आदेश दिए गये है, जिन्हें बीमा कम्पनी ने विभिन्न

कोणों से इन अपीलों में चुनौती दी है।

(2) प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/बीमा कम्पनी ने न्यायालय का ध्यान- **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि.बनाम सरजू राव वगैरा**(2008(7)SCC 425), **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि.बनाम तिलक सिंह वगैरा** (2006(4)SCC 404) व **ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम सिद्धकरण वगैरा** (2008(7)SCC 428) विनिर्णयों में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति द्वारा दिए गये मार्गदर्शन की ओर आकर्षित करते हुए न्यायालय से प्रार्थना की प्रकरण अधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जावे कि वह उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में बाद बिन्दू संख्या-3 के सम्बन्ध में नये सिरे से निष्कर्ष निकालते हुए क्लेम प्रार्थना पत्रों का पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से निस्तारण करे।इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि यदि प्रकरण को उपरोक्तानुसार पुन: न्याय-निर्णयार्थ अधिकरण को प्रेषित किया जाता है तो अधिकरण को निर्देश दिया जावे कि वह उन्हें भी अपना प्रभावी पक्ष एवं अपने पक्ष में नवीनतम विधिक विनिश्चय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे तथा उक्त प्रस्तुत विनिर्णयों पर भी क्लेम आवेदन का निस्तारण करते समय अधिकरण विचार करे।

(3) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना गया तथा आक्षेपित पंचाट का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(4) अपीलार्थी/बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विनिर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये मार्गदर्शन के प्रकाश में वाद बिन्दू संख्या-3 के सम्बन्ध में नये सिरे से निष्कर्ष निकालते हुए क्लेम आवेदन का तदनुसार नये सिरे से निस्तारण किये जाने

की विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थना उचित प्रतीत होती है।

(5) परिणामत: यह सिविल विविध अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित पंचाट दिनांक-02.03.2007 विवाद्यक संख्या-3 के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्षों की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा अधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचित विनिर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये मार्गदर्शन तथा यदि पक्षकारों की ओर से उनके समक्ष अन्य कोई विनिश्चय प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनमें दिये गये मार्गदर्शन के प्रकाश में, यदि प्रकरण उनमें दिए गये मार्गदर्शन से आवरणित होता हो, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विवाद्यक संख्या-3 के सम्बन्ध में पुन: नये सिरे से अपने निष्कर्ष निकालते हुए, क्लेम आवेदनों का तदनुसार नये सिरे से निस्तारण करेगा। पक्षकारान अधिकरण के समक्ष विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित) क्रम-2 एवं न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना वाद अधिकरण,सीकर के समक्ष 18.2.2013 को उपस्थित हों। तदुपरान्त न्यायाधिकरण क्लेम आवेदनों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करने की ओर अग्रसर होगा।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P. S.